

जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालन्दा बिहारशरीफ

पारा विधिक स्वयं सेवको के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

कौन आवेदन दे सकता है—

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता को छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते हैं। **महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।**

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य

पारा विधिक स्वयं सेवको को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपे।

100। चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा।

आरक्षण—

क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता— इंटर

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर अधोहस्ताक्षरी के पास पंजीकृत डाक से भेजे। आवेदन के साथ पंजीकृत डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा भेजे। आवेदन दिनांक **03.08.2017** तक स्वीकार किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप व्यवहार न्यायालय बिहारशरीफ के वेबसाइट **www.ecourts.gov.in/nalanda** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार विधिक सेवा सदन सिविल कोर्ट कैंपस बिहारशरीफ से भी प्राप्त किया जा सकता है।

पारिश्रमिक—

रु0 250/- प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डकी0आर0 केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश—

- (1) आवेदक भारत का नागरिक हो
- (2) स्वस्थ हो।
- (3) अच्छा चरित्र हो
- (4) समाज सेवा में रुचि रखता हो।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु
साक्षात्कार पत्र
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

पासपोर्ट साइज
का छायाचित्र
स्वअभिप्रमाणित

क्रमांक.....
(कार्यालय उपयोग के लिए)

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता/ पति का नाम:-
3. जन्म तिथि:-
4. स्थायी पता:-
5. पत्राचार पता:-

जिला-

राज्य

पिनकोड-

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान

तिथि

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार की तिथि

समय

स्थान

सदस्य सचिव
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

पासपोर्ट साइज
का छायाचित्र
स्वअभिप्रेमाणित

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. स्थायी पता :-
4. वर्तमान पता:-
5. शैक्षणिक योग्यता:-
6. अन्य योग्यता :-
7. जन्म तिथि:-
8. आवेदक की श्रेणी- (सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/
अति पिछड़ा) ।

तिथि:-

स्थान:-

आवेदक का हस्ताक्षर